

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5057/2025

सुरेंद्र कुमार एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: चरण सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे चकबंदी अधिकारी, शाहगंज, जौनपुर के आदेश दिनांक 19.09.1987 के अनुपालन में, ग्राम- सरायमोहीउद्दीनपुर, परगना- अंगुली, तहसील- शाहगंज, जिला- जौनपुर में स्थित नए गाटा संख्या 115/0.045 हेक्टेयर (पुराना गाटा संख्या 43/2/0.115 डेसीमल) को राजस्व अभिलेख में आबादी भूमि के रूप में दर्ज करें।

ii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 28 (सुरेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम राज्य) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 42-क के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन दिनांक 19.06.2025 पर निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या 2)।"

3. काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 42-क के तहत दायर आवेदन के शीघ्र निस्तारण तक सीमित रखा है। यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त आवेदन दिनांक 19.09.1987 के आदेश के अनुपालन में अभिलेख के सुधार हेतु दिनांक 19.06.2025 से विचाराधीन लंबित है। यह आगे तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त आवेदन में केवल ग्राम पंचायत और राज्य ही विपक्षी हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही डी.जी.सी.(आर) के माध्यम से किया जा रहा है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए

बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 3), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देता है कि वे इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें।

6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।
7. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.के.जी.